



## एजेंसी की नियुक्ति के लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इन्व्यूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी हेतु परामर्श एजेंसी की नियुक्ति के लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई)।

**Important dates for downloading and submitting the EOI are as follows:-**

Opening date for Submitting the document in University Campus	27/02/2025
Last date and time of Submitting the document in University Campus	10/03/2025 (11.00 AM)
Date and time of opening of the Technical Bid	10/03/25 (03:00 PM)
Date and time of Presentation in the office of Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar	To be informed separately to the technically qualified firms

**नोट:** तकनीकी रूप से योग्य फर्मों को विश्वविद्यालय परिसर में Presentation हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें चयनित सफल फर्म के साथ अनुबंध किया जायेगा।

**कुलसचिव**  
**पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय**  
**सीकर, राजस्थान-332024**

**ईमेल:** [registrar@shekhauni.ac.in](mailto:registrar@shekhauni.ac.in) **वेबसाइट:** [www.shekhauni.ac.in](http://www.shekhauni.ac.in)



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इन्व्हयूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी हेतु परामर्श एजेंसी की नियुक्ति के लिए 'ठचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई)

- कम से कम “पांच” राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम समर्थन के लिए कम से कम “दो” राज्य सरकार “नोडल एजेंसियों” के साथ “आधिकारिक भागीदार” के रूप में पूर्व अनुभव होना चाहिए। भागीदारों से संदर्भ या समझौतों की हस्ताक्षरित प्रतियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
- राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों (स्टार्टअप राजस्थान (आईस्टार्ट), स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई, डीएसटी) द्वारा प्रस्तावित विभिन्न इन्व्हयूबेशन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने में सिद्ध विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- प्री-इन्व्हयूबेशन प्रोग्राम/मॉड्यूल आयोजित करने, इनक्यूबेशन गतिविधियों का प्रबंधन करने और इनक्यूबेटरों के साथ स्टार्टअप या विचारों को सफलतापूर्वक जोड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड का अनुभव होना चाहिए।
- एजेंसी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के साथ भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। विदेशी कंपनियाँ, फर्म, प्रोपराइटरिशिप, भागीदारी और सीमित देयता भागीदारी (LLP) पात्र नहीं हैं। “भारतीय कंपनियाँ” ही भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- किराये और दीर्घकालिक इकिवटी से प्राप्त आय पर पूर्णतः निर्भर न होकर, इनक्यूबेशन केंद्र व अन्य के लिए एक मजबूत राजस्व मॉडल विकसित करने में सक्षम होना चाहिए।
- एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) द्वारा “ब्लैक लिस्टेड या प्रतिबंधित” होने पर भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा। इस साक्ष्य का प्रमाण एजेंसी को 500 रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा।
- एजेंसी द्वारा “विश्वविद्यालयों और कॉलेजों” में इनक्यूबेशन इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य या केंद्र सरकार की “निवेश एजेंसियों” के साथ कम से कम एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- इस सम्बन्ध में नवीनतम/अधिक जानकारियों हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://shekhauni.ac.in> का अवलोकन करते रहें।



## विषय: परामर्श एजेंसी की नियुक्ति के लिए पत्र

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इन्क्यूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी सेवाएं प्रदान करने के लिए भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए एजेंसी से 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की जाती है। चयनित एजेंसी का कार्यकाल एक वर्ष के लिए मान्य होगा, जो कार्यक्रम की आवश्यकता, संतोषजनक प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। हस्ताक्षरित आवेदन, निर्धारित संलग्नकों के साथ कूरियर या स्पीडपोस्ट के माध्यम से भेजने के लिए निम्नलिखित पते पर पहुंचाने की व्यवस्था करें। विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए ईओआई के नियम व शर्तों को संशोधित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ध्यान दें- पत्र के विषय में यह जरूर लिखें कि “यह एप्लीकेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इन्क्यूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी सेवाएं” के लिए है।

कुलसचिव

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय  
नवलगढ़ रोड, कटराथल, सीकर, राजस्थान-332024

✓  
कुलसचिव



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इनक्यूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी सेवाएं प्रदान करने हेतु भागीदारी के रूप में कार्य करने के लिए एजेंसी की 'अभिलेचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित

फर्म का नाम	
पंजीकृत पता	
परिचालन पता (यदि कोई हो)	
स्थापना वर्ष	
इकाई प्रकार	
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम और पदनाम)	
ईमेल	
फोन नंबर	
संपर्क बिंदु (नाम और पदनाम)	
ईमेल	
फोन नंबर	

(महत्वपूर्ण नोट: इसे फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है।)

संलग्नक:-

1. फर्म का विवरण
2. सेवाओं का विवरण
3. आवश्यक दस्तावेज

- स्टार्टअप इकोसिस्टम समर्थन हेतु कम से कम "दो" राज्य सरकार "नोडल एजेंसियों" के साथ "आधिकारिक भागीदार" – संदर्भ या समझौतों की हस्ताक्षरित प्रतियाँ
- "विश्वविद्यालयों और कॉलेजों" में इनक्यूबेशन इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य या केंद्र सरकार की "निवेश एजेंसियों" के साथ समझौतों पर हस्ताक्षरित प्रतियाँ

## दिशा-निर्देश

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, एक समावेशी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अपने प्रयास में, सीकर राजस्थान में स्टार्टअप्स को कई तरह की सेवाएँ प्रदान करने के लिए परामर्श एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है।
- परामर्श एजेंसी का दायरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इन्व्यूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी सेवाएं प्रदान करना है।
- कम से कम “पांच” राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समान कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम समर्थन के लिए कम से कम “दो” राज्य सरकार “नोडल एजेंसियों” के साथ “आधिकारिक भागीदार” के रूप में पूर्व अनुभव होना चाहिए। भागीदारों से संदर्भ या समझौतों की हस्ताक्षरित प्रतियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
- राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों (स्टार्टअप राजस्थान (आईस्टार्ट), स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई, डीएसटी) द्वारा प्रस्तावित विभिन्न इन्व्यूबेशन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने में सिद्ध विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- प्री-इन्व्यूबेशन प्रोग्राम/मॉड्यूल आयोजित करने, इनक्यूबेशन गतिविधियों का प्रबंधन करने और इनक्यूबेटरों के साथ स्टार्टअप या विचारों को सफलतापूर्वक जोड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड का अनुभव होना चाहिए।
- एजेंसी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के साथ भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। विदेशी कंपनियाँ, फर्म, प्रोपराइटरिशिप, भागीदारी और सीमित देयता भागीदारी (LLP) पात्र नहीं हैं। “भारतीय कंपनियाँ” ही भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- किराये और दीर्घकालिक इक्विटी से प्राप्त आय पर पूर्णतः निर्भर न होकर, इनक्यूबेशन केंद्र व अन्य के लिए एक मजबूत राजस्व मॉडल विकसित करने में सक्षम होना चाहिए।
- एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) द्वारा “ब्लैक लिस्टेड या प्रतिबंधित” होने पर भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा। इस साक्ष्य का प्रमाण एजेंसी को 500 रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा।
- एजेंसी द्वारा “विश्वविद्यालयों और कॉलेजों” में इनक्यूबेशन इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य या केंद्र सरकार की “निवेश एजेंसियों” के साथ कम से कम एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- इस सम्बन्ध में नवीनतम/अधिक जानकारियों हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://shekhauni.ac.in> का अवलोकन करते रहें।

✓

## घोषणा के साथ कवरिंग पत्र

सेवा में:

### प्रारूप 1 - आवेदक की 'रुचि की अभिव्यक्ति'

कुलसचिव

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय

सीकर राजस्थान-332024

विषय: पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इन्क्यूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी हेतु परामर्श एजेंसी की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।

महोदय/महोदया,

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र, खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र, विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र एवं प्रतिभा पोषण (इन्क्यूबेशन) केन्द्र की स्थापना, संचालन और निगरानी हेतु परामर्श एजेंसी के रूप में हम प्रस्तावित कार्य को करने में रुचि रखते हैं। आप द्वारा चाहे गये विवरण एवं दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।

### घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और अद्यतन है। मैं समझता हूं कि इस ईओआई में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पास यह अधिकार रहेगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी समय पर किसी भी दायित्व या ऐसी स्वीकृति को स्वीकृत/अस्वीकृत/रद्द कर सकता है।

यदि प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले या उसके निष्पादन के बाद तथा उसके अस्तित्व की अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि एजेंसी द्वारा पूर्व-योग्यता की एक या अधिक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं या एजेंसी सामग्री गलत बयानी की है या कोई भी गलत या झूठी जानकारी दी है, तो एजेंसी को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अनुबंध, भले ही हस्ताक्षरित हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा एजेंसी को लिखित रूप में सूचित कर अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर किसी भी तरह से एजेंसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

आपका सादर,

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षरमय मुहर  
दिनांक:

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(महत्वपूर्ण नोट: इसे एजेंसी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है।)

M